



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 07.04.2025

थाना बडौत पुलिस, सर्विलांस सैल, साइबर सैल व स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना बडौत के मु0अ0सं0 128/25 धारा 61(2)/316(5)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्तों की निशादेही पर गबन किये 5,26,12,700 रुपये में से 4,61,71,560 रुपयों को किया बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.25 को वादी श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह हाल प्रबंधक सीएमएसमेरठ निवासी तेजबिहार रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-गौरव तोमर पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम जोहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत,



2-रॉकी मलिक पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली के द्वारा सीएमएस कम्पनी मे कस्टोडियन का कार्य करते हुये, बैंको से कुल 5,26,12,700 रुपये कैश एटीएम में जमा कराने के लिये लिए गये किन्तु अभियुक्तों द्वारा रुपयों को एटीएम में जमा न कराकर गबन कर लिया गया। इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-----

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारा हतु चलाय जा रह आभयान क अन्तगत थाना बडौत पुलस, सावलास सल,

साइबर सैल व स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5)/61(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.गौरव पुत्र कुलदीप, 2.रॉकी पुत्र राजपाल, 3.मनीष कुमार पुत्र राहुल को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लेकर अभियुक्तों की निशादेही पर गबन किये गये 5,26,12,700 रूपयों में से कुल 4,61,71,560 रूपये बरामद किये गये है, अब तक कुल 4,62,35,160 रूपये बरामद किये जा चुके है। गबन की गई राशि का 90 प्रतिशत बरामद किया जा चुका है।

उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्तों का नाम व पता-

1-गौरव पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी (अंगदपुर जौहड़ी) थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-रॉकी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम हसनपुर थाना शामिली जनपद शामिली

3-मनीष कुमार पुत्र राहुल निवासी स्माल फ्लेट इडब्लूएस कालोनी थाना मलोया जिला यू0टी0 चंडीगढ।

बरामदगी का विवरण:-

- 50,000/- रूपये (अभियुक्त मनीष की निशादेही पर बरामद)
- 2,29,24,800/- रूपये (अभियुक्त रॉकी की निशादेही पर बरामद)
- 2,31,96,760/- रूपये (अभियुक्त गौरव की निशादेही पर बरामद)
- 63,600 रू0 (पूर्व मे ही अभियुक्त रोविन उर्फ गुड्डू से बरामद)

अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।

2- निरीक्षक श्री प्रभाकर कैन्तुरा साइबर सैल बागपत मय टीम

3-निरीक्षक श्री राकेश शर्मा प्रभारी सर्विलांस सैल बागपत मय टीम

4-निरीक्षक अपराध श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

5-उ0नि0 श्री सूर्यदीप प्रभारी स्वाट मय टीम

6-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

7-उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

8-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

9- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

10-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

11-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

12-म0उ0नि0 कीर्ती थाना बडौत जनपद बागपत।

13-म0उ0नि0 नीतू थाना बडौत जनपद बागपत।

14-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

- 15-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
16-है0का0 425 वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
17- है0का0 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
18-है0का0 629 भारत सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
19-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
20-का0 814 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 07.04.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोज कर मोबाइल के मालिकों को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही

थाना चांदीनगर जनपद बागपत पुलिस द्वारा गुम हुये 03 आवेदकों के मोबाइल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोजकर मोबाइल के मालिकों को सुपुर्द किया गया है । मोबाइल मालिक पुलिस कार्यवाही से बहुत खुश नजर आये ।

मोबाइल मालिक का विवरण हस्व जैल है

1. शुभम त्यागी पुत्र राजीव त्यागी निवासी पिलाना थाना चांदीनगर जनपद बागपत
2. अंकित पुत्र सूरजपाल निवासी गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत
3. नितिन कुमार पुत्र बुद्धप्रकाश निवासी चमरावल

थाना चांदीनगर जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-07.03.2025

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद हुयी है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पिंटू पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम धनौरा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध छुरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 644 राम टाइगर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 413 आकाश सैनी थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 07.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 512/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.06.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी रोबिन पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.कुलदीप पुत्र सुन्दर, 2.गोविन्द पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी तथा अभियुक्त कुलदीप, गोविन्द व एक व्यक्ति अज्ञात के द्वारा वादी के घर के सामने जान से मारने की नियत से फायर किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 512/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 512/2024 धारा 323/504/506/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त कुलदीप पुत्र सुन्दर को दिनांक 08.06.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गोविन्द पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम अहैडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विकास चौहान बागपत जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 611 देवेन्द्र कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 12 धीरज कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 07.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 07 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 07 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अर्जुन पुत्र महेन्द्र सिंह नि० मौ० माता कालौनी कस्बा बागपत थाना बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष
- 2-शाहरुख उर्फ शारुख पुत्र बाबूदीन निवासी सब्जी मण्डी के पास मौ० माता कालौनी कस्बा बागपत उम्र करीब 32 वर्ष
- 3-शक्ति सिंह पुत्र आशाराम नि० मौ० देशराज बागेश्वर मन्दिर के पास कस्बा बागपत थाना को०बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 36 वर्ष
- 4-सत्तार पुत्र महमूद नि० ग्राम गन्नौर थाना गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा हाल ग्राम गौरीपुर निवाड़ा थाना को०बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 41 वर्ष
- 5-अरुण कुमार पुत्र श्री तेजपाल नि० ग्राम सरुरपुर कलां थाना व जिला बागपत उम्र 32 वर्ष
- 6-तीरथ पुत्र माईसिंह नि० बसा टीकरी थाना बागपत जनपद बागपत उम्र 39 वर्ष
- 7-विरेन्द्र पुत्र कृष्णपाल नि० हनुमानपुर बागपत उम्र 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

पुलिस बल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 07.04.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 98/25 धारा 74/75/76/333 BNS व 9M/10 पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 98/25 धारा 74/75/76/333 BNS व 9M/10 पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सावन पुत्र आदेश निवासी ग्राम महादेव उर्फ मौहदी थाना सरधना जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत

2-है0का0 259 अशोक कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 07.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 45/25 धारा
191(2)191(3)/115(2)/351(3)/352/109 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को
किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बलकटी बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.02.2025 को थाना रमाला पर वादी किरणपाल पुत्र कनकसिंह निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.संजीव उर्फ काला पुत्र देवेन्द्र, 2. प्रदीप पुत्र राजेश निवासीगण ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत व 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ एक राय होकर धारदार हथियारों से



जान से मारने की नियत से मारपीट की गई व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 191(2)191(3)/115(2)/351(2)/352/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 45/25 धारा 191(2)191(3)/115(2)/351(3)/352/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बलकटी बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना रमाला पुलिस द्वारा दिनांक 05-04-2025 को 01 अभियुक्त गौरव पुत्र महक सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

संजीव उर्फ काला पुत्र देवेन्द्रपाल निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-व0उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वाई थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-है0का0 263 मौ0आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-हो0गा0 575 विनोद कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 07.04.25

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद पुत्र शहीद निवासी ग्राम सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अखिलेश यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 2-है0का0 613 नवीन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 3-का0 1027 रामकिशन थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत

